संख्या– / XVIII(II)/2020-03(02)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी, 2020

विषयः– 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना निर्माण के लिए अर्जन हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के उप तहसील पावकी देवी के अन्तर्गत ग्राम अटाली में प्रस्तावित व्यासी रेलवे स्टेशन यार्ड हेतु कुल 0.127 है0 उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ड़ भूमि रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सर्वाधिकार सहित सःशुल्क हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–437/XI–99(2018–2019), दिनांक 31 जनवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना निर्माण के लिए अर्जन हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के उप तहसील पावकी देवी के अन्तर्गत ग्राम अटाली में प्रस्तावित व्यासी रेलवे स्टेशन यार्ड हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के उप तहसील पावकी देवी के ग्राम अटाली दोगी के नॉन0जेड0ए0 खा0ख0सं0–16 में श्रेणी–9(3)ड़ उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज खसरा संख्या–1163म0/0.074 है0,1414म0/0.025 है0,1445म0/ 0.028 है0 कुल रकबा 0.127 है0 भूमि रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016–18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नजराना एवं मालगुजारी की कुल धनराशि रू0 17,08,258.00 (सत्रह लाख आठ हजार दो सौ अठ्ठावन रूपये मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना निर्माण के लिए अर्जन हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के उप तहसील पावकी देवी के अन्तर्गत ग्राम अटाली में प्रस्तावित व्यासी रेलवे स्टेशन यार्ड हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के उप तहसील पावकी देवी के ग्राम अटाली दोगी के नॉन0जेड0ए0 खा0ख0सं0–16 में श्रेणी–9(3)ड़ उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज खसरा संख्या–1163म0/0.074 है0,1414म0/

....2

0.025 है0,1445म0/0.028 है0 कुल रकबा 0.127 है0 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सर्वाधकार सहित सःशुल्क पट्टे पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

6– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/ जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

10– संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

....3

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–219 /XVIII(II)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य परियोजना प्रबन्धक, ब्लॉक नं0–04 ऋषिकेश, जी0एम0वी0एन0 मुनीकीरेती, ऋषिकेश।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।